



2026:AHC:33953

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3291 / 2026

तेजबली यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 8 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	दीक्षा मौर्य, राशिद अली
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. निजी प्रतिवादियों द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 4-उपजिलाधिकारी, तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2025 के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 23.08.2025 को रिकॉल आवेदन दाखिल किया गया था, चूंकि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
3. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादीगण इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 4 को उपरोक्त आवेदन इस आदेश की प्रमाणित प्रती प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः छह सप्ताह के भीतर शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

13 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"